

(1)

NAGAR PALIK NIGAM BHILAI

NIT

जोन क्रमांक-02 अंतर्गत ट्रेक्टर टैंकर से पेयजल प्रदाय कार्य 2023-24

(ITEM RATE)

| S.NO | DETAILS OF ITEM | NO OF TANKER | Days | Trip/Day | QTY |
|------|--|--------------|------|----------|-------------|
| 1 | जोन 2 अंतर्गत ग्रीष्म ऋतु में ट्रेक्टर टैंकर से पेयजल प्रदाय कार्य (2023-24) | | | | |
| a | (01 अप्रैल से 30 अप्रैल 2023 तक) | 1 | 30 | 9 | 270 |
| b | (01 मई से 31 मई 2023 तक) | 2 | 31 | 9 | 558 |
| c | (01 जून से 30 जून 2023 तक) | 2 | 30 | 9 | 540 |
| | | | | | 1368 |



ASST. ENGINEER

Nagar Palik Nigam, Bhilai

SUB ENGINEER

Nagar Palik Nigam, Bhilai

कार्यालय, नगर पालिक निगम भिलाई, जिला-दुर्ग


जोन क्रमांक-02 अंतर्गत ट्रेक्टर टेंकर से पेयजल प्रदाय हेतु नियम शर्त :-

1. ट्रेक्टर टेंकर की न्यूनतम क्षमता 4500 लीटर होना अनिवार्य है।
2. ट्रेक्टर टेंकर हेतु प्रस्तुत दरे चालक इंधन एवं संधारण व्यय सहित होगी। इसके लिये पृथक से कोई भुगतान देय नहीं होगा एवं लॉग बुक संधारित किया जाना अनिवार्य होगा।
3. ट्रेक्टर टेंकर से प्रतिदिन नौ फेरे कुल 40,500 लीटर पेयजल प्रदाय अनिवार्य होगा। निर्धारित मात्रा से कम प्रदाय की स्थिति में स्वीकृत दरों के समानुपातिक कटौती देयक से की जावेगी।
4. निगम द्वारा पेयजल स्वयं के विभिन्न स्रोतों से उपलब्धता अनुसार कराया जावेगा। पेयजल एवं विद्युत न होने की स्थिति में पेयजल की स्वयं व्यवस्था करानी होगी। जिनके लिये पृथक से भुगतान देय नहीं होगा।
5. ट्रेक्टर टेंकर की संख्या में आवश्यकतानुसार कमी या वृद्धि की जा सकेगी तथा आवश्यकता मांग के अनुरूप 12 घंटे के अंदर ट्रेक्टर टेंकर उपलब्ध कराना होगा। समय-सीमा के भीतर उपलब्ध नहीं कराने पर कार्यादेश निरस्त किया जा सकेगा।
6. ट्रेक्टर टेंकर न लगाये जाने की स्थिति में प्रति दिवस 10,000.00 रु. का जुर्माना की कटौती देयक से की जावेगी।
7. प्रभारी उप अभियंता के निर्देशानुसार प्रत्येक ट्रेक्टर टेंकर पूर्ण तथा हिस्सों में आवश्यकतानुसार पृथक-पृथक स्थानों पर निर्धारित समय पर उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा।
8. निविदा दाता द्वारा लगाये गये ट्रेक्टर टेंकरो पर "नगर पालिक निगम भिलाई में पेयजल परिवहन हेतु आरक्षित" ट्रेक्टर क्रमांक-..... लिखा जाना अनिवार्य होगा।
9. ट्रेक्टर टेंकर के द्वारा जल प्रदाय कार्य में संलग्न ड्रायवर/कर्मचारी अनुशासन बनाये रखेंगे।
10. किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने पर समस्त क्षतिपूर्ति/थाना/न्यायालय की कार्यवाही हेतु निविदा दाता एजेंसी बाध्य होगा।
11. संबंधित ट्रेक्टर टेंकर पर पंजीयन नंबर स्पष्ट अंकित होना अनिवार्य है।
12. न्यूनतम दर दाता एजेंसी को कार्य प्रारंभ करने के पूर्व वाहन का पंजीयन, इंश्योरेंस की स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करना होगा।

जोन क्रमांक-02 क्षेत्रांतर्गत ट्रेक्टर टेंकर से जल प्रदाय :-

| कार्य का नाम | क्षमता | ट्रेक्टर टेंकरो की अनुमानित संख्या | संख्या | दर प्रति ट्रीप रु. (अंको/शब्दों में) |
|--|-----------------------|------------------------------------|------------------|--------------------------------------|
| जोन क्रमांक-02 क्षेत्रांतर्गत ट्रेक्टर टेंकर से जय प्रदाय कार्य। | 4500 लीटर प्रति ट्रीप | आवश्यकतानुसार | प्रतिदिन 9 ट्रीप | |

एजेंसी का हस्ताक्षर सील सहित


कार्यपालन अभियंता
जोन क्रमांक-02
नगर पालिक निगम
भिलाई